

कार्यालय निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 7(4)अकाद/निकाशि/प्रवेशनीति/2011/ 259

दिनांक: 28 जून, 2011

समस्त प्राचार्य,  
राजकीय महाविद्यालय,  
राजस्थान।

विषय: प्रोविज़नल प्रवेश देने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले समस्त अभ्यर्थियों से इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे कि वह दिनांक: 07.07.11 तक आवश्यक रूप से मूल अंक तालिका, टी.सी., सी.सी. प्रस्तुत कर दूंगा। यदि उक्त समयान्तर में प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर प्रवेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा, **ली गार्ड फीस लौट्टी नहीं लावेगी।**

इस प्रकार का शपथ पत्र देने वाले विद्यार्थियों से फीस जमा कर प्रोविज़नल प्रवेश दिया जावे।

भवदीय,

*scd*

संयुक्त निदेशक,  
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

क्रमांक: एफ 7(4)अकाद/निकाशि/प्रवेशनीति/2011/ 261

दिनांक: 28 जून, 2011

प्रतिलिपि निम्न को :-

1. समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान को निर्देशित किया जाता है कि अपने संभाग में स्थापित महाविद्यालयों को सूचित करें।
2. डा0 धीरेन्द्र देवर्षि, बेवसाईट प्रभारी, निदेशालय। कृपया उक्त सूचना निदेशालय की बेवसाईट पर डाउनलोड करने का श्रम करें।

*ml*  
संयुक्त निदेशक,  
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर